

<p>तारीख हुमना संख्या: 24/25 किरम प्रार्थना पत्र</p>	<p>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, डीग (डीग) पटवारी, पटवार मंडल, सुनहरी बनाम राजस्थान सरकार हुमना वा कार्यावाही मय इनिशियलस जज GCMS No- 2025/301 अन्तर्गत धारा 136 आर.टी.एक्ट 1956</p>	<p>नियम व तारीख अहकाम जो इस हुमना की तामील में जारी हुए</p>
<p>तारीख हुमना</p>	<p>हुमना वा कार्यावाही मय इनिशियलस जज</p>	<p>नियम व तारीख अहकाम जो इस हुमना की तामील में जारी हुए</p>
<p>26 11.2025</p>	<p>आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट के तहत पटवारी, पटवार मंडल सुनहरी द्वारा पेश किया गया। प्रार्थना पत्र बाद जांच व जल रजिस्टर किया गया। आवेदन पत्र के साथ भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 05.04.2025 की प्रति पेश की गई। तहसीलदार (मू.अ.) डीग की रिपोर्ट क्रमांक 24/2025/3370 से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। पटवारी पटवार मंडल सुनहरी के निवेदन पर सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध पलेखीय दस्तावेजात व तहसीलदार अ.अ. की जांच रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा पटवारी, पटवार मंडल सुनहरी ने मौखिक निवेदन किया है कि बाकें ग्राम जायलीकदीग स्थित भूमि जमाबंदी संवत् 2076-79 के खाता संख्या 172 खसरा नं० 006/023 के वास्तुकार सुनहरी पुत्र रामो हिरसा जाट जाति जाट निवासी कौर खातेदार राहिन हिरसा शर्मा बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कौर के स्थान पर राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा कौर दुरुस्त किया जावे। अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप तथा तहसीलदार अ.अ. की स्पष्ट अभिशपा के आधार पर हस्तगत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट के अन्तर्गत स्वीकार किया जाना उचित पाया जाता है।</p> <p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>अतः हस्तगत प्रार्थना पत्र धारा अंतर्गत 136 एल0आर0एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया बाकें ग्राम जायलीकदीग स्थित भूमि जमाबंदी संवत् 2076-79 के खाता संख्या 172 खसरा नं० 006/023 के वास्तुकार सुनहरी पुत्र रामो हिरसा शर्मा जाति जाट निवासी कौर खातेदार राहिन हिरसा शर्मा बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कौर के स्थान पर राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा कौर दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार अ.अ. को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु तत्परे जारी हो। शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तामील दाखिल दफ्तर हों। निर्णय आज दिनांक 26-11-2025 को न्यायालय हाजा में सुनाया गया।</p>	<p>नियम व तारीख अहकाम जो इस हुमना की तामील में जारी हुए</p>

(~~सुनहरी चौधरी~~)
उपखण्ड अधिकारी
डीग (जिला डीग)